

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / ०८ /2021

दिनांक :16 .01.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./156/2020 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा श्रीमती स्वाति परेवा (RJ0708), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली) को दिनांक 17.11.2020 से 23.12.2020 तक 37 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.11.2020 से 16.11.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 17.11.2020 से 19.11.2020 तक 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

 16.1.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/77/2011/५१२.

दिनांक 16 .01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 73 दिनांक 05.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती स्वाति परेवा (RJ0708), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।
5. श्रीमती शैला फौजदार (RJ0874), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।



सहायक रजिस्ट्रार